



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267384  
CG-DL-E-04112025-267384

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 724]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 810(अ).— भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में जी.एस.आर. 587 (ई) दिनांक 27 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई है, के अनुसार:-

(i) मसौदा नियमों के पैरा 2 में, परंतुक की शर्त संख्या 3 में "नमूना-चयन का आकार 48 से अधिक नहीं होना चाहिए।"

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "नमूना-चयन का आकार 18 से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए।"

इस शुद्धिपत्र के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्तियों एवं सुझावों यदि कोई हों, को निदेशक (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा संख्या 407, एविंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है या [drugsdiv-mohfw@gov.in](mailto:drugsdiv-mohfw@gov.in) पर ईमेल किया जा सकता है।

[फा. सं. एक्स. 11014/06/2025-डीआर]

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st October, 2025

**G.S.R. 810(E).**— In the draft notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section(i) vide G.S.R. 587 (E) dated the 27th August, 2025—

(i) In para 2 under the draft rules, the condition no. 3 of the Proviso **for the words** “The samples size should not be more than 48” **the following shall be substituted as**, :- “The samples size should be more than or equal to 18”.

Objections and suggestions which may be received from any person within 15 days of the publication of this corrigendum will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 407, A Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at [drugsdiv-mohfw@gov.in](mailto:drugsdiv-mohfw@gov.in).

[F. No. X.11014/06/2025-DR]

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.